लोक सभा में 28 फरवरी, 2005
को पुरःस्थापित रूप में

2005 का विधेयक संख्यांक 35

[दि फाइनेंस बिल, 2005 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2005

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2005 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 64 तक 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

website: http://indiabudget.nic.in